आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी, राजमहल।

आर0ई0 वाद सं0– 22/2018–19

आवेदक– होरेन दास

बनाम

विपक्षी– शंकर साहा

आदेश

7.9.19

अंचल अधिकारी, बरहरवा के पत्रांक 870/रा0 दिनांक 16.07.2018 के द्वारा उच्छेदी वाद से संबंधित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। अंचल अधिकारी, बरहरवा के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकनपरांत संतुष्ट होकर वाद की कार्रवाई प्रारम्भ कर उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर उभय पक्षों से कारणपृच्छा की मांग की गई है।

आवेदित भूमि का विवरण

मौजा	जमाबंदी नं0	दाग नं0	रकवा
पतना	64	379 एवं 380	00–05–09 धूर जमीन में से 00–01–05 धूर

आज आवेदक की ओर से वकालतन हाजरी है। विपक्षी उपस्थित। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि मौजा पतना के जमाबंदी न0 64 दाग न0 379 एवं 380 कुल रकवा 00–05–09 धूर जमीन आवेदक के द्वारा विपिन दास के नाम से खतियान में दर्ज है। आवेदक उक्त वर्णित पैतृक जमीन पर पूर्वजों से शांतिपूर्ण भोग दखल करते आ रहे है। आवेदक ने उक्त वर्णित मौजा पतना के जमाबंदी न0 64 दाग न0 379 एवं 380 रकवा 00–05–09 धूर में से 00–01–05 धूर जमीन विपक्षी शंकर साहा ने नाजायज रुप से जबरन दखल कर लिये है। आवदेक के द्वारा विपक्षी को अमीन का रिर्पोट दिखाकर जमीन खाली करने के संबंध में कहने पर विपक्षी एवं उसकी पत्नी गाली–गलौज एवं जान मारने पर उतारु हो जाता है, तथा धमकी देता है कि जमीन हम खाली नही करेगें, जो करना है कर सकते है। उक्त वर्णित जमीन अहस्तान्तरणीय है। विपक्षी ने वर्णित जमीन अवैध रुप से एवं बल पूर्वक दखल किये हुए है।

अतः आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता ने उक्त वर्णित जमीन से विपक्षीगण को उच्छेद करने हेतु अनुरोध किये है।

जवाब में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक के द्वारा प्रश्नगत वाद संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 42 के अन्तर्गत दायर किये है, परन्तु 42 में स्पष्ट प्रावधान है कि उक्त धारा कृषि भूमि के लिये है, न कि अवासीय भूमि के लिये। उक्त वर्णित विवादित भूमि अवासीय है।

अतः विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक के द्वारा दाखिल उच्छेदी वाद आवेदन को खारीज करने का अनुरोध किया है।

अंचल अधिकारी, बरहरवा के पत्रांक 870/रा0, दिनांक 16.07.2108 के द्वारा जाँच पतिवेदन प्राप्त। अंचल अधिकारी, बरहरवा ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि वर्णित मौजा बिक्रयशील नही है। यह पूर्णतः दामिन कोह है। मौजा पतना थाना न0 39 के खाता 64 के दाग न0 379 रकवा 00–03–13 एवं दाग न0 380 रकवा 00–01–16 कुल रकवा 0–05–09 धूर जमीन खतियान में विपिन दास पिता–जीरोन दास के नाम से खतियान में दर्ज है, जो आवेदक के दादा है। अंचल नापी वाद सं0–23/2015–16 के द्वारा आवेदक

Scanned with CamScanner

की जमीन मौजा पतना थाना न0 39 के खाता 64 के दाग न0 380 रकवा 00–01–16 धूर में से 00–00–16 धूर जमीन पर विपक्षी शंकर साहा पिता–स्व0 सचिन साहा वैरागीपाडा के द्वारा अवैध ढंग से दखलकार किये है, तथा पक्के का मकान बना लिया है। उनसे कागजात मांगने पर बताया गया कि मेरे पास कोई कागजात नही है।

उपरोक्त तमाम स्थितियों एवं परिस्थितियों पर सम्यकरूपेण विचारोपरांत मौजा पतना, थाना नं0– 39 के खाता नं0– 64 के दाग नं0– 380, रकवा 01 कट्ठा 16 धूर में से 16 धूर जमीन पर से विपक्षी शंकर साहा, पिता– स्व0 सचिन साहा, सा0– बैरागीपाड़ा को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 42 के तहत उच्छेद किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

Scanned with CamScanner